

06/05/22

वकुलाशे फरीकित
इपल्लित। हलगत
शाठ पत्र के मूल
वाह सं. 135/2021
का निर्णय आज
स्वार्थ के रूप में
हुआ है। इस लिये
हलगत शाठ पत्र
मूल वाह के अभाव
में चलने योग्य नहीं



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम अ हुक क
	<p> ²⁰ है। अल दलदाल शा 0 पत्र खारिज किया जाता है। मिलल उर्ज अन्वय ले कम लोक मूल वाद सं. 135/2021, C.L.M.S No- 2021/210 उमवानी कमल कुमार आर्दि 5/3 प्रकार आर्दि के संलग्न रहे। का </p> <p> उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी </p>	